अनुदान संख्या 82 – पेय जल पूर्ति विभाग
GRANT No. 82–DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	8501,90,00		8602,32,00	8594,26,30	–8,05,70
पूरक	Supplementary	100,42,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					32,50

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	340000.00	355325.84	354558.73	–767.11
पू.	S.	3244.00			
पु.	R.	12081.84			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	85000.00	..	..	..
पू.	S.	1000.00			
पु.	R.	–86000.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	425000.00				
पू.	S.	5756.00		504600.64	504600.09	–0.55
पु.	R.	73844.64				

(I) 86052.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 86000.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" - 74000.00 लाख रु. (अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 1000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित)थे; और

(खा) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - ग्रामीण सफाई कार्यक्रम" - 12000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों का किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2215" - "मलजल एवं सफाई - सफाई सेवाएं - अनुवीक्षण और मूल्यांकन" के अंतर्गत 177.69 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असंतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की वजह से मूल्यांकन अभिकरणों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (155.27 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं

(I) Provision of Rs.86052.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.86000.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- under the following heads:-

(A) "Water Supply – Rural Water Supply Programme - Accelerated Rural Water Supply Programme" – Rs 74000.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs obtained in October, 2008); and

(B) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services- Rural Sanitation Programme"– Rs.12000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2215" – "Sewerage & Sanitation - Sanitation Services- Monitoring and Evaluation" – saving of Rs.177.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to release of less funds to evaluation agencies owing to submission of unsatisfactory progress report.

2.(I) The above savings were partly (Rs.155.27 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि को अनुदान'' के अंतर्गत अक्तूबर, 2008 में 3244.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 155.24 लाख रु. था।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.3244.00 lakhs in October, 2008 under Major Head "2215" - "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Grants to State Boards, Authorities etc". Actual excess, however, was Rs.155.24 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by the excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''मलजल एवं सफाई - सफाई सेवाएं'' -

(क) ''जिला जल और सफाई समितियों, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को अनुदान'' - 9925.50 लाख रु. का अधिक व्यय (87830.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''निर्मल ग्राम पुरस्कार'' - 1600.37 लाख रु. का अधिक व्यय (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कार के लिए अधिक ग्राम पंचायतों का चयन किए जाने की वजह से निर्मल ग्राम पुरस्कार कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम'' - 73844.10 लाख रु. का अधिक व्यय (अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 5756.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 428276.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरूस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2215" - "Sewerage & Sanitation- Sanitation Services" –

(a) "Grants to District Water and Sanitation Committees, Missions, DRDAs" – excess of Rs.9925.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.87830.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Nirmal Gram Puraskar" – excess of Rs.1600.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for Nirmal Gram Puraskar Programme owing to selection of more Gram Panchayat's for award and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes -Water Supply – Rural Water Supply Programme- Accelerated Rural Water Supply Programme" – excess of Rs.73844.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.428276.00 lakhs including supplementary grant of Rs.5756.00 lakhs obtained in October, 2008) was due to requirement of additional funds for Desert Development Programme areas and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.